झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सिविल विधिक याचिका संख्या 719/2023

सन्नी जौहर उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जौहर
... याचिकाकर्ता

बनाम

1. भूपेंद्र प्रताप सिंह
2. अकील अहमद
3. सोमता जे. सिंह
4. स्नेह लता गोयल

.... उत्तरदाता/ प्रोफार्मा प्रतिवादी

कोरमः माननिय न्यायधीश सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अमर कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

विरोधी पक्ष के लिए : ……

03 दिनांक 12.01.2024

1. यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसके माध्यम से न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा 29.11.2022 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जो कि विविध नागरिक आवेदन संख्या 26/2021 में है, जो सिविल अपील संख्या 22/2020 से उत्पन्न हुई है। जिसमें विद्वान न्यायालय ने अवप्रेरण आदेश को रद्द करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.08.2017 के आधार पर याचिकाकर्ता को मृतक /अपीलार्थी के स्थान पर व्यवहार करने का अधिकार है। इस प्रकार, सिविल अपील संख्या 22/2020 में अपीलकर्ता, अर्थात् पुष्पा लता का नाम हटाकर भूपेंद्र प्रताप सिंह और अकील अहमद को शामिल/प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना को मंजूरी दी गई है।

2. याचिका में की गई दलीलों के अनुसार मामले का संक्षिप्त तथ्य, जिसे अंकित करने की आवश्यकता है, निम्नलिखित है:-

3. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता की मृत माँ सरोजा रानी और प्रोफॉर्मा विरोधी पक्ष संख्या 3 और 4 ने अपनी माँ रानी ब्रिज मणि और अपनी बहन, अर्थात् स्नेह लता गोयल और सुश्री पुष्पा लता के खिलाफ भागीदारी मुकदमा संख्या 154/1985 दायर किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न संपत्तियों में 1/4 का हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभाजन के लिए एक निर्णय का दावा किया, जो कि वाद पत्र के अनुसूची-बी और सी में उल्लिखित हैं।

4. उक्त मुकदमे में, वादी सरोजा रानी के 1/4 हिस्से के विभाजन के लिए प्रारंभिक निर्णय पारित किया गया और अंततः 16.03.1992 को विद्वान उप-न्यायाधीश-V, रांची द्वारा विभाजन मुकदमा संख्या 154/145 वर्ष 1985/1990 में अंतिम निर्णय पारित किया गया।

5. अंतिम निर्णय के पारित होने के बाद, सरोजा रानी, जो एकमात्र वादी थीं, का निधन हो गया,

और उन्होंने अपने पीछे अपने पति सुरेंद्र सिंह जोहर, एक पुत्र, अर्थात् सन्नी जोहर, और एक पुत्री, समता जेसिंह को छोड़ दिया। .

6. उक्त विभाजन मुकदमे में, रानी ब्रिज मणि, प्रतिवादी संख्या 1 का निधन हो गया और इस प्रकार, उनके 1/4 हिस्से को याचिकाकर्ता के साथ साथ प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी संख्या-3 और 4 द्वारा विरासत में प्राप्त किया गया।

7. स्नेह लता गोयल, प्रतिवादी संख्या 4 ने उक्त विभाजन मुकदमे में संपत्ति में अपने हिस्से को निकालने के लिए याचिका दायर की और तदनुसार, 18.12.2013 को अंतिम निर्णय पारित किया गया।

8. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्रतिवादी संख्या 3 पुष्पा लता, जो अब मृत हैं, ने उच्च न्यायालय में नागरिक अपील संख्या 22/2020 और 23/2020 दायर की थी, जो उक्त विभाजन मुकदमे में पारित प्रारंभिक और अंतिम निर्णय के खिलाफ थी। इस अपील को दायर करने में 8946 दिनों की अत्यधिक देरी हुई, जो समय सीमा के तहत बाधित है और अभी तक देरी को माफ नहीं किया गया है। दोनों अपीलें रांची के न्यायिक आयुक्त की अदालत में वित्तीय अधिकार क्षेत्र के दृष्टिगत स्थानांतरित कर दी गई हैं।

9. उपरोक्त अपील की लंबित रहने के दौरान, एकमात्र अपीलकर्ता सुश्री पुष्पा लता अविवाहित निधन हो गईं, और उन्होंने अपने पीछे याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी संख्या 3 और 4 को अपने उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में छोड़ दिया।

10. इस अपील में, भूपेंद्र प्रताप सिंह, पिता दिवंगत यदुवंश सिंह, और अकील अहमद,पिता दिवंगत निजाम खान ने आदेश XXII नियम 1, 3(1) के तहत याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने पंजीकृत वसीयत दिनांक 09.08.2017 के आधार पर दिवंगत पुष्पा लता, जो एकमात्र अपीलकर्ता थीं, के स्थान पर अपने नामों को शामिल/प्रतिस्थापित करने की मांग की है।

11. एकमात्र अपीलार्थी, पुष्प लता की मृत्यु 05.09.2019 पर हो गई और प्रतिस्थापन याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक याचिका के साथ प्रतिस्थापन याचिका दायर की गई है।

12. याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी संख्या 3 और 4 ने उक्त याचिका पर यह कहते हुए कि विपक्षी पार्टी संख्या 1 और 2 दिवंगत एकमात्र अपीलकर्ता पुष्पा लता के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि वे अज्ञात व्यक्ति हैं, आपत्ति दर्ज की है। याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी संख्या 3 और 4 ने सिविल न्यायधीश, सीनियर डिवीजन, वाराणसी की अदालत में केस संख्या 241/2020 दायर किया है, जिसमें उन्होंने पुष्पा लता द्वारा विपक्षी पार्टी संख्या 1 और 2 के पक्ष में किए गए कथित वसीयत दिनांक 09.08.2017 को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि यह वसीयत धोखाधड़ी के माध्यम से बनाई गई है ताकि याचिकाकर्ता और प्रोफार्मा विपक्षी पार्टी संख्या 3 और 4 की संपत्ति को हड़पने के लिए। यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। आगे कहा गया कि विपक्षी पार्टी संख्या 1 और 2 उक्त वसीयत के लाभार्थी नहीं हैं, जो कि प्रारंभ से ही अवैध, अमान्य, अप्रभावी और याचिकाकर्ता पर बाध्यकारी नहीं है।

13. याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्रतिस्थापन याचिका लगभग 2 वर्षों की देरी के बाद दायर की गई है और प्रतिस्थापन याचिका दायर करने में हुई देरी को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया है।

14. न्यायिक आयुक्त, रांची ने 29.11.2022 की तारीख के आदेश के अनुसार विपक्षी पार्टी संख्या 1 और 2 द्वारा दिवंगत एकमात्र अपीलकर्ता पुष्पा लता के स्थान पर उनके नामों को

प्रतिस्थापित/शामिल करने के लिए दायर की गई याचिका को अवैध रूप से अनुमति दी है, जिसके खिलाफ वर्तमान याचिका है।

15. उक्त याचिका में यह आधार लिया गया है कि उक्त पंजीकृत वसीयत के अनुसार, यह स्पष्ट होगा कि भले ही वसीयत का परिवीक्षित नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन याचिका के याचिकाकर्ताओं के पास प्रश्नगत संपत्ति पर महत्वपूर्ण अधिकार हैं।

16. उक्त याचिका पर गंभीर आपत्ति जताई गई है।

17. विद्वान अदालत ने पक्षों की प्रतिकूल दलीलों पर विचार करते हुए 29.11.2022 को आदेश पारित किया, जिसके द्वारा उपरोक्त याचिका को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं, भूपेंद्र प्रताप सिंह और अकील अहमद के नामों को दिवंगत पुष्पा लता के स्थान पर नागरिक अपील संख्या 22/2020 में शामिल/प्रतिस्थापित करने की प्रार्थना को मंजूरी दी गई।

18. उपरोक्त आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस याचिका को दायर करके चुनौती दी गई है।

19. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता श्री अमर कुमार, ने प्रस्तुत किया कि 29.11.2022 का विवादित आदेश पूरी तरह से गलत और अनुचित है, क्योंकि इसे याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया है, जो यहां प्रतिवादी हैं। उन्होंने कहा कि वे वसीयत दिनांक 09.08.2017 के आधार पर अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं, जो ठीक से परिवीक्षित नहीं हुई है, बल्कि उक्त वसीयत को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, वाराणसी के समक्ष चुनौती दी गई है, जो अभी भी लंबित है।

20. यह तर्क दिया गया है कि केवल पंजीकृत वसीयत के आधार पर जांच नहीं की गई है, इसमें निजी प्रतिवादी विचाराधीन संपत्ति पर अपने स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, विवादित आदेश पारित किया गया है, इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गयी है |

21. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पर विचार किया है जैसा कि दिनांक 29.11.2022 के विवादित आदेश में संदर्भित है।

22. यहां स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि विवादित आदेश और दलीलों के अध्ययन से स्पष्ट है कि विभाजन मुकदमा संख्या 154/145 वर्ष 1985-90 में, 1/4 का हिस्सा पुष्पा लता के पक्ष में निर्णय दिया गया है और तदनुसार, उनके पक्ष में अंतिम निर्णय भी पारित किया गया है। लेकिन, कहा गया है कि वह बिना संतान के थीं और उनका निधन हो गया। विवादित आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त पुष्पा लता ने प्रतिवादियों के पक्ष में एक वसीयत बनाई थी।

23. विवादित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वसीयत हालांकि पंजीकृत थी लेकिन इसकी जांच नहीं की गई थी। इसके अलावा उक्त वसीयत पर वाराणसी में सक्षम अदालत के समक्ष सवाल उठाया गया है।

24. लेकिन, अंतिम आदेश के खिलाफ अपील में, प्रत्यर्थियों द्वारा उनके अभियोग के लिए एक आवेदन दायर किया गया है क्योंकि इस बीच, उक्त पुष्प लता की मृत्यु हो गई थी।

25. यह दावा 09.08.2017 की वसीयत पर आधारित है जिसमें उक्त पुष्प लता के एक चौथाई हिस्से के अधिकार का दावा किया गया है।

26. आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि पुष्पा लता के निधन के बाद मामला समाप्त हो गया था, जितना कि उक्त पुष्पा लता से संबंधित है, लेकिन निजी प्रतिवादियों द्वारा उक्त पुष्पा लता के स्थान पर शामिल होने के लिए याचिका दायर करने के बाद, समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया है और निजी प्रतिवादियों को उक्त पुष्पा लता के स्थान पर माना गया है। तदनुसार, उन्हें अपील में शामिल किया गया है, जिसके खिलाफ वर्तमान याचिका दायर की गई है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए है।

27. यह आधार लिया गया है कि वसीयत के आधार पर, जांच न किए जाने के कारण, विचाराधीन संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता है और इसलिए, जिन निजी उत्तरदाताओं के बारे में कहा गया है कि वे उक्त पुष्प लता के स्थान पर हैं, उन्हें विभाजन मुकदमे में पारित आदेश के मद्देनजर संपत्ति पर अधिकार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें संपत्ति के एक चौथाई हिस्से का आदेश दिया गया है।

28. इस न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित तर्कों की विवेचना करते हुए और विवादित आदेश पर आते हुए पाया है कि याचिकाकर्ता ने, यद्यपि, वारणसी के सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वसीयत दिनांक 09.08.2017 को चुनौती दी है और भले ही उक्त वसीयत को समाप्त नहीं कहा गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि जब दो पक्ष अपने अधिकार का दावा कर रहे हैं जो विभाजन मुकदमे में पुष्पा लता के पक्ष में पारित 1/4 हिस्से के निर्णय पर आधारित है, जो बिना संतान के निधन हो गईं और भूपेंद्र प्रताप सिंह और अकील अहमद के पक्ष में वसीयत बनाई थी।

29. हालाँकि, यह आधार लिया गया है कि ये प्रतिवादी, अर्थात् भूपेंद्र प्रताप सिंह और अकील अहमद मुकदमे की संपत्ति के लिए पूरी तरह से अज्ञात हैं और इसलिए, इन प्रतिवादी पक्ष को कार्यवाही में शामिल करने में घोर अवैधता की गई है।

30. यह याचिकाकर्ता द्वारा विवादित आदेश की चुनौती का आधार है।

31. इसलिए, प्रश्न यह है कि क्या ये दो निजी प्रतिवादी, अर्थात् भूपेंद्र प्रताप सिंह और अकील अहमद, अज्ञात व्यक्ति हैं या प्रश्नगत संपत्ति पर उनके पास कोई अधिकार और हित है, इसे कौन तय करेगा, क्या यह याचिकाकर्ता होगा या न्यायालय।

32. यह याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं नहीं किया जा सकता, बल्कि यह मुद्दा कि निजी प्रतिवादी अज्ञात व्यक्ति हैं और संपत्ति पर कोई हित नहीं है, इसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए।

33. यदि ऐसी परिस्थितियों में, इन दो प्रतिवादियों को कार्यवाही में पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि आदेश में कोई त्रुटि है।

34. इस न्यायालय के विचार के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति चुनौती दी गई अप्रविष्ट वसीयत के आधार पर भी शीर्षक का दावा कर रहा है, तो केवल इस कारण से कि वसीयत की जांच नहीं हुई है या वसीयत को चुनौती दी गई है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ये दो प्रतिवादी संपत्ति में अतिक्रमणकारी हैं, जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया हो।

35. इसलिए, यदि अपीलीय न्यायालय ने इन प्रतिवादियों को सभी समय के लिए मुद्दे के निर्णय के लिए शामिल किया है, तो इसे त्रुटि से कैसे ग्रस्त कहा जा सकता है?

36. इसके अलावा, यदि ये दो उत्तरदाता संपत्ति के लिए अजनबी और घुसपैठिए हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया जा रहा है, तो सच सामने आना चाहिए। और यदि सच

को सामने लाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है, तो सवाल यह होगा कि याचिकाकर्ता को कैसे नुकसान होगा, क्योंकि सच हमेशा सच होता है और इसे सही या गलत होने के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष पर पहुँचने और निर्णय लेने के लिए पक्षों को अवसर प्रदान करना आवश्यक है। अन्यथा, यदि विवादित आदेश में हस्तक्षेप किया जाएगा, तो निजी उत्तरदाता विचाराधीन संपत्ति के अधिकार और हित का निर्णय किए बिना, उन्हें विचाराधीन संपत्ति पर उनके स्वामित्व के संबंध में तार्किक अंत तक पहुँचे बिना उपचारहीन बना दिया जाएगा।

37. यह याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के प्रावधान के तहत दायर की गई है और यह कानून की स्थापित स्थिति है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की सीमित न्यायिक शक्ति होती है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र शंकर पाटी के मामले में कहा है, जो **(2010) 8** एससीसी **329** में रिपोर्ट किया गया है। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 227 के दायरे के बारे में बताया है, जो उच्च न्यायालयों की पर्यवेक्षी शक्तियों से संबंधित है और कोलकाता उच्च न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ द्वारा डालमिआ जैन एयरवेज़ लिमिटेड बनाम सुकुमार मुखर्जी के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया गया है, जो ए.आइ.आर **1951** कोलकाता **193** में रिपोर्ट किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय को असीमित शक्ति नहीं देता है जिसे विशेष निर्णयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अदालत की इच्छा से प्रयोग किया जा सके। पर्यवेक्षण का अधिकार एक ज्ञात और अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त चरित्र की शक्ति प्रदान करता है और इसे उन न्यायिक सिद्धांतों पर लागू किया जाना चाहिए जो इसे उसका चरित्र देते हैं। सामान्य शब्दों में, उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अधीनस्थ अदालतों को उनके अधिकारों की सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इसे कानूनी तरीके से करें।

i. पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वहाँ कुछ नहीं हुआ हो;
(क) अधिकारिता की अनुचित धारणा, जो किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित नहीं है; या
(ख) अधिकारिता का घोर दुरुपयोग; या
(ग) न्यायालयों या न्यायाधिकरणों में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से अनुचित इनकार

ii. इसके अलावा, उपरोक्त निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मणि नरिमन दारूवाला बनाम फिरोज एनभटेन . के मामले में दिए गए निर्णय का सहारा लिया है, जो **)1991) 3** एससीसी **141** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय केवल उस स्थिति में एक अधीनस्थ अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय को रद्द या पलट सकता है जहाँ कोई साक्ष्य नहीं है या जहाँ कोई भी समझदार व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता जो अदालत या न्यायाधिकरण ने निकाला है।

iii. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस सीमित सीमा को छोड़कर उच्च न्यायालय के पास तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

iv. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लक्ष्मीकांत रेवचंद भोजवानी बनाम प्रतापसिंह मोहनसिंह पर्देशी के मामले में दिए गए निर्णय में, जो **)1995) 6** एससीसी **576** में रिपोर्ट किया गया है, कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय सभी प्रकार की कठिनाइयों या गलत निर्णयों को सुधारने के लिए असीमित विशेषाधिकार नहीं ले सकता।

इसका प्रयोग गंभीर कर्तव्य की लापरवाही और कानून एवं न्याय के मौलिक सिद्धांतों के स्पष्ट दुरुपयोग तक सीमित होना चाहिए।

v. उपरोक्त निर्णय के पैरा 47 में कहा गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र न तो मूल है और न ही अपील योग्य। अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षण का यह अधिकार दोनों प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण के लिए है। इसलिए, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ अलग और विशिष्ट हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इन दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच एक और अंतर यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सामान्यतः एक आदेश या कार्यवाही को रद्द या निरस्त करता है, लेकिन अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय, कार्यवाही को निरस्त करने के अलावा, विवादित आदेश को उस आदेश से प्रतिस्थापित भी कर सकता है जो अधीनस्थ न्यायाधिकरण को बनाना चाहिए था।

vi. इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बारे में कहा गया है। उच्च न्यायालय, अपने पर्यवेक्षण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, केवल इस उद्देश्य से आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण और अदालतें अपनी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर रहें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायाधिकरण और अदालतें अपने पास निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करें और अपने पास निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से मना न करें। इसके अलावा, उच्च न्यायालय तब अपने पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है जब अधीनस्थ न्यायाधिकरण और अदालतों के आदेशों में स्पष्ट विकृति हो या जहाँ न्याय का गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन हुआ हो या प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो।

vii. अपने पर्यवेक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय केवल कानून या तथ्य की साधारण गलतियों को सुधारने के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या इसलिए कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण या अदालतों द्वारा लिया गया दृष्टिकोण के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। दूसरे शब्दों में, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिए।

38. इस न्यायालय का, इस तथ्य के साथ-साथ कानून की स्थिति के आधार पर उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि यदि विद्वत विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित किया है, तो इसे त्रुटि से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है।

39. परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिका असफल होती है और इसे अस्वीकृत किया जाता है।

40. यह प्रस्तुत किया गया है कि विभाजन का मुकदमा वर्ष 1985 का है और यह अभी भी लंबित है और इसलिए अपील अदालत को इसमें तेजी लाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

41. इस न्यायालय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अर्थात् पर्यवेक्षण की शक्ति, इस विचार में है कि इस प्रकार का निर्देश पारित किया जाना आवश्यक है, यह देखते हुए कि यह मुकदमा वर्ष 1985 का है और तब से 38 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए, संबंधित न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील को तेजी से निपटाए बिना पक्षों को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए, ताकि अपील को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

(श्री सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश)

रोहित/एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|